::: निविदा की शर्ते :::

1. प्रत्येक निविदा सीलबंद लिफाफे मे होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा लिफाफे पर अपना GST नम्बर अंकित करना होगा तथा यह स्पष्ट करना होगा कि निविदा किस किस खण्ड हेतु एवं किस किस सामग्री हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

2. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जावेगा। लिफाफे में सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र तदानुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा। सुरक्षा निधि वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा तथा पर्याप्त सुरक्षा निधि अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही दूसरे लिफाफे अर्थात निविदा पत्र वाले को खोला जायेगा अन्यथा निरस्त कर दिया जायेगा।

3. सील बंद लिफाफे के साथ प्रत्येक निविदाकार को जी0एस0टी0 रिटर्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि छ.ग. भण्डार क्रय नियम व छ.ग. जेल नियमावली के अनुसार जमा करना होगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोक कर असफल निविदाकार की राशि 15 दिवस मे लौटा दी जायेगी। प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग से पंजीकृत हैं तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन्हे सुरक्षा निधि जमा करने की छूट दी जायेगी। इन इकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र टेण्डर के साथ देने पर छूट दी जायेगी।

5. सफल निविदाकार से प्रतिभूति की राशि के अतिरिक्त जेल पूर्ति नियम 1968 के नियम 10(ग) के अनुसार शोध क्षमता प्रमाण पत्र या उसके बदले में 10 प्रतिशत प्रतिभूति भी प्राप्त किया जाना होगा ताकि आपूर्तिकर्ता के बीच मे प्रदाय किये जाने पर आपूर्ति बाधित न हो।

6. सुरक्षा निधि नगद स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदाकार को सुरक्षा निधि चालान से लेखा शीर्ष 8443 सिविल जमा राशि 103–प्रतिभूति जमा शासकीय खजाने में/उप खजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहा शासकीय नगद लेन–देन का कारोबार होता है मे जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत करना होगा अथवा निविदाकार चाहे तो भारतीय स्टेट बैंक, अनुसूचित बैंको को FDR के द्वारा ही जेल अधीक्षक, जिला जेल बैकुण्ठपुर के नाम से प्लेज हो सुरक्षा निधि जमा किया जा सकता है।

7. ताजी सब्जियां बंदियो की संख्या अनुसार ली जावेगी। नियत समय तक सामग्री प्राप्त न हुआ तो प्रदायकर्ता को किसी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सामग्री बाजार से क्रय कर लिया जावेगा एवं शासन की हानि के पूर्ति के लिए संबधित व्यापारी की धरोहर की राशि से काट ली जावेगी तथा निविदाकार एवं उसकी फर्म इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

8. सामग्री प्रदायगी आदेश के 03 दिवस अन्दर सामग्री प्रदाय करना होगा, यदि 03 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय न हुआ तो प्रदायकर्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस दिये बगैर तत्काल सामग्री बाजार से क्रय कर लिया जायेगा एव शासन की हानि की पूर्ति के लिए संबधित व्यापारी की धरोहर की राशि से काट ली जायेगी तथा निविदाकार एव उसकी फर्म इस संस्था द्वारा निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

9. जेल अधीक्षक कय समिति की अनुशंसा पर क्रय हेतु बाध्य नहीं है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह कय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट हैं तो कय की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट नही है तो निविदाओं को निरस्त कर सकता है। जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म के द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है के बारे मे यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्य ज्ञान है, वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ है। भण्डारण की उसके पास पर्याप्त व्यवस्था है। वह चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है इस आशय की शर्त करारनामा में जोड़ी जा सकती है। वस्तु इस शर्त पर क्रय की जायेगी कि उनका प्रदाय क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जावेगा।

10. प्रदाय आदेश जारी करने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करारनामा किया जावेगा। फर्म के करारनामा नमूना तथा मापदण्ड के अनुरूप वस्तु प्राप्त न होने की दशा में प्राप्त सामग्री स्वीकार नहीं की जावेगी तथा प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वय के व्यय से वापस ले जाना होगा।

11. निविदायें दिनांक 26.12.2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। निविदायें कार्यालयीन समय में केवल कार्यालय में ही ग्रहण की जावेगी। वे किसी अधिकारी/कर्मचारी के निवास स्थान पर ग्रहण नहीं की जावेगी।

12. निविदा उपस्थित निविदाकार या उसके प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 28.12.2022 को सायंकाल 04:00 बजे खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने के समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

13. तेल प्रदाय हेतु प्रत्येक निविदाकार को पृथक-पृथक तेल सेम्पल 100 ग्राम की सफेद शीशी में सील बंद प्रस्तुत करना होगा एवं मशाला तथा अन्य सामग्री प्रदाय हेतु प्रत्येक निविदाकार को पृथक-पृथक 100 ग्राम के पैक में सेम्पल निविदा अवधि तक प्रस्तुत करना होगा।

14. देयकों के भुगतान पर नियमानुसार निर्धारित जी0एस0टी काटकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा। बिलों के भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जावेगी।

15. निविदा में दर्शायी गई सफल निविदाकार से खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की दरें दिनांक 31.03.2022 तक अथवा अगले वर्ष के ठेके स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैध रहेंगे।

16. निविदाकार को सामग्री का प्रदाय जेल गेट पर स्वयं के खर्चे से करना होगा। सामग्री का परीक्षण जेल गेट पर किया जायेगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सामग्री नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत सामग्री तुरंत वापस ले जाना होगा।

17. निविदाकार या उनके प्रतिनिधि को माल प्रदाय करते समय माल के साथ आना होगा। जब भी आव यकता महसूस होगी माल को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा जा सकता है। इस प्रकार भेजे गये माल का भुगतान परीक्षण रिपोर्ट में मापदण्ड के अनुरूप सही स्तर पर नहीं पाया गया तो इस संस्था के निविदाकार एवं उनके फर्म को निविदा के लिए अपात्र घोषित किया जावेगा।

18. समस्त पूर्तियां जेल द्वार पर ही स्वीकृत होगी।

19. निविदाओं का अनुमोदन महानिदेशक जेल द्वारा किया जावेगा। महानिदेशक जेल का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को अमान्य करेंगे। यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

20. निविदा विहित फार्म की प्रति एवं निविदा से संबंधित जानकारी रूपये 1000/- का भुगतान करने पर कार्यालय जेल अधीक्षक, जिला जेल बैकुण्ठपुर से अवकाश दिवस को छोड़कर कार्यालयीन समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निविदा दिनांक 26.12.2022 के एक दिन पूर्व तक प्राप्त की जा सकती है।

21. वस्तुओं की मात्रा अनुमानित है एवं उससे अधिक या कम करने का अधिकार जेल अधीक्षक, जिलाजेल बैकुण्ठपुर का होगा।

22. निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार जेल अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबध में पत्राचार नहीं किया जावेगा। समस्त निविदाओं के लिए जेल अधीक्षक (अध्यक्ष) का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। निविदाकारों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित किये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

23. शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री निविदाओं से क्रय नहीं की जावेगी।

P.T.O. 3

24. प्रत्येक निविदाकार को वस्तु का भाव अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा। काट–पीट एपं ऊपरी लेखन मान्य नहीं होगा। निविदा में सामग्रियों के खाली टिन, बोरे आदि की दरें नही जोडी जावेगी। वस्तु का वास्तविक मूल्य ही अंकित किया जाये।

25. निविदाकार की कोई शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी।

26. निविदा के साथ फर्म का लेटर हेड जिसमें फर्म का पूर्ण पता, GST नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित होना चाहिए।

27. निविदाकार को आयकर रिटर्न, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

28. निविदाकार का व्यापारिक संस्था कहां स्थित है का स्पष्ट पता जहां से विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं का प्रदाय करेगा, जिससे कय अधिकारी व्यापारिक संस्थान का निरीक्षण कर सके।

29. निविदाकार को करारनामा 100 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर 01 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। करारनामा विधिवत निष्पादित होने के पश्चात् ही प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा।

30. निविदाकार को निविदा के साथ सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

जेल अधीक्षक
जिला जेल बैकुण्ठपुर